Title: Need to ensure that farmers of Gujarat get amount due to them under Crops Insurance Scheme.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में फसल बीमा योजना लागू करने तथा अधिकतर प्रश्नों को इसमे समाविट करके भारत सरकार ने सराहनीय कार्य किया है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत मिली है। â€¦(व्यवधान) इस योजना के तहत कई किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं परन्तु गुजरात के जिन कृाकों ने इस योजना में भाग लिया था उन्हें गत पांच वाों से फसल बीमा की अपनी बकाया राशि नहीं मिली है। â€¦(व्यवधान) इनमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अहमदाबाद व भावनगर जिलों की संख्या ज्यादा है। इसके साथ समूचे सौराट्र तथा उत्तरी गुजरात के किसान भी लम्बी सूची राशि वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप रूल 377 के बाद इस मामले को उठाएं।

â€¦(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : भारत सरकार की ओर से फसल बीमा योजना की बकाया धनराशि गुजरात सरकार को दी जाए ताकि प्रदेश सरकार अपना हिस्सा जोड़ कर किसानों की बकाया राशि का भुगतान कर सके। इससे फसल बीमा योजना के प्रति उनका विश्वास और अधिक दृढ़ बनेगा। मैं आशा रखता हूं कि केन्द्र सरकार तुरन्त उचित कदम उठा कर किसानों को संतुट करेगी।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: The rest of the matters under rule 377 may be treated as laid on the Table of the House.